रूबी खातून एवं अन्य

बनाम

मुना प्रसाद एवं एक अन्य

2016 का विविध अपील संख्या 987

06 मई, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय)

विचार के लिए मुद्दा

- क्या मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत हत्या के प्रकरण में दावा बनाए रखने योग्य है, जब वह हत्या वाहन के प्रयोग के दौरान हुई हो?
- क्या घटना के समय वाहन बीमित था और बीमा कंपनी मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी है?
- क्या चालक का लाइसेंस घटना के समय वैध था?
- क्या अधिकरण ने मुआवज़े की गणना करते समय कटौती एवं अन्य मदों में त्रुटि की?

हेडनोट्स

माननीय न्यायालय ने यह विचार किया कि एक ऑटो रिक्शा चालक मोहम्मद हुसैन की, ड्यूटी के दौरान अपहरण और हत्या कर दिए जाने की घटना, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत "मोटर वाहन के प्रयोग से उत्पन्न दुर्घटना" मानी जा सकती है। इस बिंदु पर अपील में कोई विवाद नहीं था (अनुच्छेद - 6, 13)।

न्यायालय ने यह माना कि मृतक की आय में से व्यक्तिगत व्यय हेतु की गई 1/3 की कटौती गलत थी, क्योंकि आश्रितों की संख्या चार थी, अतः 1/4 कटौती उपयुक्त थी। मृतक की उम्र 30 वर्ष थी और वह स्व-रोजगार में था, अतः प्रणय सेठी एवं सारला वर्मा निर्णयों के अनुसार 40% भविष्य संभाव्यता जोड़ी जानी चाहिए थी, तथा गुणक 17 लागू किया गया (अनुच्छेद - 15, 17)।

परंपरागत मदों में भी वृद्धि की गई—प्रत्येक आश्रित के लिए संवीक्षा हानि, संपत्ति हानि, तथा अंतिम संस्कार व्यय । कुल मुआवज़ा पर दावा पत्र दायर करने की तिथि से 6% वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया गया। अपील को इसी सीमा तक स्वीकार किया गया और पूर्ववर्ती आदेश संशोधित किया गया (अनुच्छेद- 16,18,19)।

न्याय दृष्टान्त

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम प्रणय सेठी, (2017) 16 SCC 680; सारला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, (2009) 6 SCC 121; मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाम नानू राम, (2018) 18 SCC 130; यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सतिंदर कौर @ सतविंदर कौर एवं अन्य, (2021) 11 SCC 780; रोजलाइन नायक एवं अन्य बनाम अजीत साहू एवं अन्य, 2024 SCC OnLine SC 1901

अधिनियमों की सूची

मोटर वाहन अधिनियम, 1988; भारतीय दंड संहिता, 1860 (धारा 302, 201); शस्त्र अधिनियम, 1959 (धारा 27)

मुख्य शब्दों की सूची

मोटर दुर्घटना; रोजगार के दौरान हत्या; मुआवज़ा वृद्धि; भविष्य संभाव्यता; संवीक्षा; परंपरागत मदें; व्यक्तिगत व्यय कटौती; गुणक पद्धति; बीमा उत्तरदायित्व

प्रकरण से उत्पन्न

दावा वाद संख्या 499/2008, अपर जिला न्यायाधीश प्रथम-सह-मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पटना द्वारा दिनांक 05.04.2016 (पुरस्कार दिनांक 09.05.2016) को पारित।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री आलोक कुमार @ आलोक कुमार शाही, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री अशोक प्रियदर्शी, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

विविध अपील संख्या-987/2016

==

1. रूबी खातून और अन्य पत्नी- स्वर्गीय मोहम्मद हुसैन
2. अशरफ, पुत्र- स्वर्गीय हुसैन
3. अरशफ, पुत्र- स्वर्गीय हुसैन
4. साजिया, पुत्री- स्वर्गीय हुसैन, सभी निवासी- मोहल्ला- डुलीघाट, थाना- खाजेकलां, जिला-पटना

.... अपीलकर्तागण

बनाम

1. मुन्ना प्रसाद और अन्य, पुत्र- श्री शंकर प्रसाद, निवासी- चौहटी गली, गुरहट, पटना सिटी, थाना- खाजेकलां, जिला-पटना
2. डिवीजनल मैनेजर, डी ओ- 1, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, लक्ष्मी अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड, पटना

.... प्रतिवादीग़ण

==

उपस्थिति :-

अपीलकर्तागण के लिए : श्री आलोक कुमार@आलोक कुमार शाही,अधिवक्ता

प्रतिवादीग़ण के लिए : श्री अशोक प्रियदर्शी, अधिवक्ता

==

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

सीएवी निर्णय

दिनांक: 06-05-2025

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार उर्फ आलोक कुमार शाही और साथ ही प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक प्रियदर्शी को सुना।

2. यह विविध अपील मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत अपीलकर्ताओं की ओर से दावा वाद संख्या 499/2008 में विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-I सह-मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पटना (इसके बाद "विद्वान न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित) द्वारा दिनांक 05.04.2016 को दिये गये निर्णय और दिनांक 09.05.2016 को जारी आदेश से अपीलकर्ताओं/दावेदारों को प्रदान की गई मुआवजे की राशि को बढ़ाने हेतु दायर की गई है।

3. विद्वत न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थीगण 5,85,500 रुपये मुआवजे के रूप में प्राप्त करने के हकदार हैं और तदनुसार यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी/प्रतिवादी सं. 2 को निर्देश दिया गया है कि विद्वत न्यायाधिकरण का निर्णय प्राप्त होने के एक महीने के भीतर दावा याचिका दायर करने की तिथि से प्रति वर्ष 6 प्रतिशत ब्याज के साथ आदेश के अनुसार मुआवजे की राशि का भुगतान तुरंत किया जाए।

4. विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा की गई क्षतिपूर्ति राशि की गणना का विवरण इस प्रकार हैः

क्रमांक	शीर्षक	गणना	शुद्ध राशि
1	मासिक आय		रु. 4, 000/-
2.	वार्षिक आय		रु. 48, 000/-

3.	मृतक की आयु लगभग 30 वर्ष है 18 का गुणक लागू होता है।	रु. 48,000 x 18	रु. 8,64,000/-
4.	1/3 व्यक्तिगत और रहन-सहन के खर्चों के लिए कटौती	1/3 x रु 8,64,000	रु. 2,88,000/-
5.	संपत्ति का नुकसान		रु. 2,500/-
6.	सम्पदा का नुकसान		रु. 5,000/-
7.	अंतिम संस्कार का खर्च		रु. 2,000/-
	कुल मुआवजा		रु. 5,85,500/-

5. इस वाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मो. हुसैन/मृतक दिनांक 10.08.2008 को ड्यूटी से अपने घर नहीं लौटा और परिवार के सदस्यों ने सोचा कि वह ड्यूटी पर हो सकता है और वह अगले दिन वापस आ जाएगा। मृतक के रिश्तेदार को अथमलगोला पुलिस ने सूचित किया कि ग्राम नेउरा रोड के पास एक शव मिला है। यह जानकारी मिलने पर मृतक के रिश्तेदारों ने शव की पहचान की। मृतक बजाज ऑटो रिक्शा बीआर-आईएन-8922 का चालक था। उक्त रिक्शा चलाते समय कुछ उपद्रवियों ने उसका अपहरण कर लिया और उसकी हत्या कर दी। मृतक ऑटो रिक्शा चलाने से 4,000/- रुपये कमाता था। मृतक की आयु लगभग 30 वर्ष थी। एक मो. शकिल अथमलगोला के फरदबेयान के आधार पर दिनांक 11.08.2008 को अज्ञात आरोपी के विरुद्ध भा०द०स०. की धारा 302 और 201 और धारा 27 आर्म्स एक्ट के अधीन थाना कांड संख्या- 99/2008 दर्ज किया गया था।

6. दावेदारों के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि मृतक की ऑटो रिक्शा चलाते समय अज्ञात उपद्रवियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, इसलिए उसकी मृत्यु मोटर वाहन अधिनियम के अधीन दुर्घटना के रूप में शामिल होगी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उल्लंघन करने वाले ऑटो रिक्शा का बीमा विरोधी पक्ष संख्या 2 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, लक्ष्मी अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड, पटना के साथ किया गया था और यह पॉलिसी घटना की तारीख और समय पर मान्य थी, इसलिए विरोधी पक्ष संख्या 2 दावेदार को मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, विरोधी पक्ष संख्या 1 उल्लंघन करने वाले वाहन का मालिक था जिसका पंजीकरण संख्या- बी.आर.-आई.एन.-8922 था, इस वाद में पेश हुआ और उसकी ओर से लिखित निवेदन दायर किया गया जिसमें कहा गया है कि मृतक की हत्या कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा 11.08.2008 को चालक के रूप में उसकी नियुक्ति के दौरान की गई थी। दावेदारों ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृतक के विधिक उत्तराधिकारी का कोई प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया है। ऑटो रिक्शा का बीमा विरोधी पक्ष संख्या 2 से किया गया था और पॉलिसी दुर्घटना की तारीख को वैध और प्रभावी थी, इसलिए मुआवजे का भुगतान करने का पूरा दायित्व विरोधी पक्ष संख्या 2 को जाता है।

7. विरोधी पक्ष संख्या- 2, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भी इस मामले में पेश हुई और उसकी ओर से लिखित बयान दायर किया गया जिसमें कहा गया है कि दुर्घटना के प्राथमिकी के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत हत्या का मामला है न कि दुर्घटना का क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम के अधीन यह दावा वाद बनाए रखने योग्य नहीं है। मृतक मो. हुसैन के पास दुर्घटना के समय ऑटो रिक्शा चलाने के लिए वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था जो बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन है, इसलिए यह विरोधी पक्ष-2 दावेदारों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए

उत्तरदायी नहीं है। मृतक की आय और आयु के बारे में कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि पूरा दावा मामला काल्पनिक है और मृतक की आयु और आय से विरोधी पक्ष इनकार करता है।

8. पक्षकारों की ओर से आगे की गई दलीलों और प्रस्तुतियों के आधार पर, विद्वान न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित मुद्दों को तैयार कियाः

i. *क्या तैयार किया गया दावा मामला बनाए रखने योग्य है?*

ii. क्या मृतक मो. हुसैन मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के पूर्वावलोकन के अंतर्गत आता है?

iii. क्या ऑटो रिक्शा स०-. बी.आर.-आई. एन.-8922 का बीमा, दुर्घटना की कथित तिथि और समय पर प्रतिवादी स०-2, अर्थार्त यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ किया गया था ?

iv. क्या हत्या या कपटवध बीमा अधिनियम के दायरे में आएगी या नहीं?

v. क्या दुर्घटना के समय चालक का ड्राइविंग लाइसेंस वैध और प्रभावी था?

vi क्या दुर्घटना के समय वाहन के पास वैध परमिट है?

vii क्या पॉलिसी की निर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन हुआ है और उचित मुआवजा क्या होगा और इसका भुगतान कौन करेगा?

9. इसके वाद के समर्थन में दावेदारों ने पूरी तरह से दो गवाहों से पूछताछ की है। उन्होंने घटना की प्रमाणित प्राथमिकी और अथमलगोला थाना वाद संख्या 99/2008 की आरोप पत्र की प्रति, जिसे क्रमशः प्रदर्श 1 और 2 के रूप में चिह्नित किया गया है। मृतक की अंत्यपरीक्षण रिपोर्ट को पहचान के लिए प्रदर्श X के रुप में चिन्हित किया गया है।

10. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दावेदारों की ओर से दो गवाह यानी रूबी खातून और मोहम्मद शकील से न्यायाधिकरण द्वारा पूछताछ की गई। सभी गवाहों ने याचिकाकर्ताओं के दावे का समर्थन किया कि विद्वत न्यायाधिकरण को भविष्य की संभावना के लाभ की अनुमति देनी चाहिए थी क्योंकि मृतक की आयु केवल 30 वर्ष थी और वह स्वयं कमाने वाला व्यक्ति था और विद्वत न्यायाधिकरण ने गलत तरीके से व्यक्तिगत खर्चों के लिए 1/3 की कटौती की थी, सही कटौती 1/4 वीं होगी क्योंकि दावेदारों की कुल संख्या चार है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि विद्वत न्यायाधिकरण प्रेम और स्नेह के नुकसान के लिए मुआवजा देने में विफल रहा और सम्पदा के नुकसान, संपत्ति के नुकसान और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए बहुत कम राशि भी दी। विद्वत न्यायाधिकरण को दावा याचिका दायर करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक 6 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत ब्याज देना चाहिए था।

11. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश विधि के साथ-साथ अन्य तथ्यों पर भी सही नही है। निम्नलिखित विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश मोटर दुर्घटनाओ के वादो में मुआवजे के अनुदान हेतु तय किए गए सिद्धांतों के विरुद्ध है। विद्वत दावा न्यायाधिकरण ने अभिलेख पर साक्ष्य और दस्तावेजों की सराहना सही दृष्टिकोण से नहीं की है।

12. प्रतिवादीओं के विद्वान अधिवक्ता ने कोई आपत्ति नहीं उठाई है और इस बात पर सहमत हैं कि दावेदारों को भविष्य की संभावनाओ की अनुमति दी जानी चाहिए।

13. वर्तमान वाद में, दुर्घटना का होना और बीमा कम्पनी की देनदारी विवाद में नहीं है। इस न्यायालय के समक्ष निर्णय लेने वाला एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या अपीलकर्ता/दावेदार मुआवजे में वृद्धि के हकदार हैं और यदि हां, तो किस हद तक?

14. क्षतिपूर्ति शब्द एक व्यापक शब्द है जिसमें नुकसान के लिए दावा शामिल है। अधिनियम की धारा 166 के अधीन मुआवजे की राशि के दावे के आदेश में, दावेदार न्यायसंगत मुआवजे का हकदार है जो न्यायसंगत और निष्पक्ष होना चाहिए। जीवन और अंगों के नुकसान की भरपाई कभी भी समान रूप से नहीं की जा सकती है, परंतु यह अधिनियम विधि निर्माण का एक सामाजिक हिस्सा है जिसका उद्देश्य दावेदारों को परिवार के सदस्य के नुकसान का निवारण करने, कुछ हद तक नुकसान की भरपाई करने और दावेदारों को उचित सीमा तक क्षतिपूर्ति करने में सुविधा प्रदान करना है।

15. विद्वत न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक की मृत्यु के समय उसकी आयु 30 वर्ष थी, तदनुसार **राष्ट्रीय बीमा कंपनी बनाम प्रणय सेठी और अन्य (2017) 16 एस. सी. सी. 680** और **सरला वर्मा और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य (2009) 6 एस. सी. सी. 121 में रिपोर्ट की गई,** के दृष्टिकोण से, मृतक की आयु सीमा (26 से 30) के अनुसार लागू गुणक 17 होगा। भविष्य की संभावना के संबंध में, मृतक की मासिक आय का 40 प्रतिशत उसकी आय में जोड़ा गया और उसकी वास्तविक आय का एक चौथाई हिस्सा काट लिया गया है। इस संबंध में उभय पक्षों की ओर से कोई विवाद नहीं है। यह अब अच्छी

तरह से तय हो गया है और इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि सम्पदा का नुकसान प्रत्येक दावेदार को दिया जाएगा।

16. जहाँ तक दावेदारों के पारंपरिक नुकसान का संबंध है, विद्वत न्यायाधिकरण ने संपत्ति के नुकसान रू. 2,500/-, अंतिम संस्कार का खर्च रु 2,000/- और सम्पदा का नुकसान रु 5,000/- का फैसला किया है, जो उचित मुआवजा नहीं है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। मृतक अपने पीछे पत्नी और तीन बच्चों को छोड़ गया है, जिनमें से दो नाबालिग हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **प्रणय सेठी (ऊपर) मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम ने (2018) 18 एस. सी. सी. 130, में रिपोर्ट किया गया, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सतिंदर कौर @ सतविंदर कौर और अन्य (2021) 11 एस. सी. सी. 780 में रिपोर्ट किया गया, और रोजलाइन नायक और अन्य बनाम अजीत साहू और अन्य ने 2024 एस. सी. सी ऑनलाइन एस. सी. 1901, में रिपोर्ट किया गया,** पारंपरिक मद के तहत निम्नलिखित राशि मुआवजे के रूप में प्रदान की जाती है:

क्रमांक	शीर्षक	गणना	मुआवजे की राशि
1.	संपत्ति का नुकसान	रु. 15,000/- + दो बार 10 प्रतिशत की वृद्धि	रु. 18,150/-
2.	सम्पदा का नुकसान	रु. 40,000/- + दो बार 10 प्रतिशत की वृद्धि	रु. 1,93,600- (रु. 48,400/- x 4)
3.	अंत्येष्टि खर्च	रु. 15,000/- 10 प्रतिशत को दो बार बढ़ाएँ।	रु. 18,150/-

17. चूंकि मृतक की आयु 30 वर्ष (यानी 40 वर्ष से कम) थी और दुर्घटना के समय उसका वेतन निश्चित था और यह तय नहीं हुआ था कि वह एक स्थायी कर्मचारी था, इसलिए प्रणय सेठी (उपर) के पैरा 59.4 के संदर्भ मे भविष्य की संभावनाओं के अनुसार 40 प्रतिशत का भुगतान किया जाना चाहिए।

18. इस प्रकार देय मुआवजे की कुल राशि इस प्रकार होगीः

क्रमांक	शीर्षक	मुआवजा दिया गया
1.	वार्षिक आय	रु. 48,000/-
2.	भविष्य की संभावनाओं के लिए 40 प्रतिशत की वृद्धि	रु. 67,200/-
3.	1/ ¼ चौथाई व्यक्तिगत और रहने के खर्चो के लिए कटौती	रु. 16,800/-
4.	कटौती के बाद वार्षिक आय	रु. 50,400/-
5.	गुणक	17
6.	निर्भरता का नुकसान	रु. 50,400 * 17 = रु. 8,56,800
7.	संपत्ति का नुकसान	रु. 18,150
8.	सम्पदा का नुकसान	रु. 1,93,600
9.	अंतिम संस्कार का खर्च	रु. 18,150
10.	***कुल मुआवजा***	***रु. 10,86,700***

19. विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 05.04.2016 पारित निर्णय/पुरस्कार को दावा याचिका दायर करने की तारीख से केवल 6 प्रतिशत ब्याज के साथ उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया गया है। तदनुसार, इस अपील का निपटारा विवादित निर्णय और राशि के आदेश में उपरोक्त संशोधन के साथ किया जाता है।

20. यदि कोई लंबित आवेदन हों, तो निपतारा कर दिया जायेगा।

21. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय के अभिलेख और कार्यवाही के आवश्यक अनुपालन, यदि कोई हो, के लिए तुरंत विचारण न्यायालय को वापस भेज दे।

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

सनी कुमार/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।